



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042021-226691  
CG-DL-E-19042021-226691

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]  
No. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2021/चैत्र 29, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2021/CHAITRA 29, 1943

गृह मंत्रालय  
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

**सा.का.नि. 280(अ).**—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 552(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 11 सितम्बर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, में पृष्ठ संख्या 2 पर, क्रम संख्या-5 में **चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता**— “इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1, में हैं, इन नियमों के अधीन **नियुक्ति** के लिए पात्र होंगे”। के स्थान पर **चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता**— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1, में हैं, इन नियमों के अधीन **पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति** के लिए पात्र होंगे” को पढ़ें।

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

[फा. सं. I.12012/02/2018—संगठन]

पी. वेनुकुट्टन नायर, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 16th April, 2021

**G.S.R. 280(E).**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number G.S.R. 552(E), dated 11<sup>th</sup> September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 11<sup>th</sup> September, 2020, at page number 04, in Serial No. 5 for **Medical Fitness**.— “Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for **appointment on deputation**” read **Medical Fitness**.— “Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for **appointment on promotion or deputation under these rules.**”

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. I.12012/02/2018-Org]

P. VENUKUTTAN NAIR, Under Secy.